न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारीः— डॉ हरीतिमा, आर0ए0एस0

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 14/2023

जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

अभियुक्त (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्त्ता) श्री सतीश कुमार पुत्र श्री शिवकुमार बजाज निवासी रिड़मलसर मण्डी।
फर्म – मै. योगेश किरयाना स्टोर, वार्ड नंबर–5, रिडमलसर, जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(।।)/52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय **दिनांक : 20 जुलाई, 2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री जीत सिंह यादव कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 01.09.2022 द्वारा उन्हें कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकत्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आते है।

श्री जीत सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.02.2022 को समय दोपहर 12 बजे मैसर्स योगेश किरायाना स्टोर वार्ड नं. 05, रिडमलसर पहुंचे। मौके पर विक्रेता श्री सतीश कुमार पुत्र श्री शिवकुमार बजाज ने स्वय को दुकान का मालिक बताया और दुकान के अंदर रखे एक–एक किलोग्राम **शुगर बोइल्ड कन्फेशनरी (गणपति फ्रेश स्वीट्स)** के 8 डिब्बे आमजन को विक्रय हेतु बताया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के बेचान हेतु पदार्थ **शुगर बोइल्ड कन्फेशनरी (गणपति फ्रेश स्वीट्स)** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (राज.)

हेतु आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **शुगर बोइल्ड कन्फेशनरी (गणपति फ्रेश स्वीट्स)** एक–एक किलोग्राम के 4 पैक डिब्बों को विक्रेता से खरीद किया एवं मौके पर 320 रूपए का भुगतान किया एवं केशमीमो बनवाकर, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **शुगर बोइल्ड कन्फेशनरी (गणपति फ्रेश स्वीट्स)** को चार बराबर भागों में बांटकर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डीओ श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1359** लगाया और प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये

तत्पशचात खरीद शुदा **शुगर बोइल्ड कन्फेशनरी (गणपति फ्रेश स्वीट्स)** के चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **के–1359** को नियमानुसार चारों नमूनों को नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बंद कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर, समझाकर फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हेतु कहा, जिसे श्री सतीश कुमार ने सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यलय पहुंचकर फार्म 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सीलबन्द कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा शेष तीन सील बंद नमूना भाग मय फार्म 6 की प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं सी.एम.एच.ओ., श्रीगंगानगर को स्वयं ने जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, बीकानेर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/229/एक्ट/2022/229 दिनांक 22.02.2022 के अनुसार खाद्य नमूना **के–1359** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(II)/52 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ **शुगर बोइल्ड कन्फेशनरी (गणपति फ्रेश स्वीट्स) अमानक (मिसब्राण्डेड)** फूड पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगांनगर ने अभियुक्त के विरूद्ध एफ.एस.एस.ए.एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 06.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) न्यायालय श्रीगंगानगर (राज.)

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा **शुगर बोइल्ड कन्फेशनरी (गणपति फ्रेश स्वीट्स)** बाजार से खरीद किया गया था, प्रार्थी फर्म द्वारा किसी भी तरह का काई मिलावटी समान का विक्रय नहीं किया जाता है और ना ही प्रार्थी फर्म द्वारा अमानक पदार्थ दुकान पर रखा जाता है, इस प्रकार प्रार्थी द्वारा धारा 26(2)(सैकिण्ड)/51 एफएफएसए 2006 एवं सहपठित नियम 2011 का उल्घंघन नहीं किया है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाया जाए। अतः प्रार्थी के विरूद्ध की गई उक्त नोटिस कार्यवाही को समाप्त की जाकर प्रार्थी को राहत पहंचाई जाए।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री सतीश कुमार पुत्र श्री शिवकुमार बजाज निवासी रिड़मलसर मण्डी, फर्म मै. योगेश किरयाना स्टोर, वार्ड नंबर–5, रिडमलसर, जिला श्रीगंगानगर से लिया गया **शुगर बोइल्ड कन्फेशनरी (गणपति फ्रेश स्वीट्स)** का सैम्पल **के–1359** जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस/229/एक्ट/2022/229 दिनांक 22.02.2022 द्वारा **मिसब्राण्डेड (अमानक)** पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II)/52 के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि The sample of "**Sugar Boiled Confectionery(Ganpati Fresh Sweets Flavour Candy)**" bearing Code No. and Sr. No. K-1359 of Designated Officer cum the Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar, is **Misbranded Food** Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of FSS Act. 2006.

फलस्वरूप, श्री सतीश कुमार पुत्र श्री शिवकुमार बजाज, फर्म मै. योगेश किरयाना स्टोर, वार्ड नंबर–5, रिडमलसर, जिला श्रीगंगानगर को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(II)/52 के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री सतीश कुमार को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत **राशि रूपये 7000/–** (अखरे रूपये सात हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्री गंगानगर।